अंक ५३

नई दिल्ली, जुलाई २०१४

[निजी प्रसार के लिए]

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

श्री जेकब पुन्नूस

केरल पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक और पुलिस सुधार के एक मुख्य सुत्रधार श्री जेकब पुन्नूस से थाना और थाना स्तर के पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र से संबंधित चिंता वाले क्षेत्रों पर उनकी सलाह/ मत जानने के लिए फ़ोन और ई-मेल पर लिए गये साक्षात्कार को प्रस्तूत किया जा रहा है।

केरल के डी.जी.पी. के तौर पर आपकी कार्य अवधि सबसे लंबी थी जिसमें थाना स्तर पर साकारात्मक बदलावों के लिए आपको जाना जाता है, थाना स्तर पर सुधार के लिए आपकी प्राथमिकता किन क्षेत्रों में थी?

यह कहना सही नहीं होगा कि यह परिवर्तन तब हुए जब मैं डी.जी.पी. था। वास्तव में, मैं इन विषयों से तब से जुड़ा हुँ जब मैं एक प्रशिक्षार्थी था। जहां तक थानों का प्रश्न है तो सबसे पहले थाने को राज्य प्राधिकार केन्द्र से हटकर जनता के लिए सर्विस डिलिवरी सेंटर में परिवर्तित किया जाना चाहिए। हमारी धारणा यह थी कि इसे सरकार के अधिकार वाले केन्द्र से हटाकर जनता को सेवा प्रदान करने के श्रोत के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए। सुरक्षा प्राप्त करना जनता का अधिकार है जिसकी वह मांग कर सकती है। इसके लिए थानों में आने से लोगों को भय नहीं लगना आवश्यक है।

यह महसूस किया गया कि सभी थानों में एक स्वागत डेस्क होना चाहिए। इसमें यह अवधारणा थी कि थाने में प्रवेश करना जनता का अधिकार है और वहां जाने में भय का आभास नहीं होना चाहिए। इसलिए २००५, २००६ में हमने सभी थानों में एक स्वागत डेस्क की स्थापना की और यह एक बहुत बड़े बजट का प्रोजेक्ट था। इसके अलावा न केवल स्वागत डेस्क की कमी बल्कि भारत के अधिकांश थानों में आप पाएंगे कि थाने के द्वार पर एक बंदूकधारी पुलिसकर्मी खड़ा है, हमने इसे भी हटाया और एक गार्ड को खड़ा किया। और ऐसा करने से थानों पर खतरे की एक भी घटना नहीं हुई। इसके अलावा सभी थानों में महिला पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया जिससे कि थानों में महिलाओं और बच्चों का आवागमन बढ़े। इसके लिए निःस्संदेह ही उनके लिए अलग विश्राम कक्ष, शौचालय आदि उपलब्ध कराया गया।

एक और काम हमने यह किया कि लॉक-अप के पास कैमरे लगवा दिये। इससे थानों में होने वाले आत्महत्या के मामलों में कमी आई। साथ ही, एस.एच.ओ. पर भी कैमरे की निगरानी में काम करने का दबाव और जवाबदेही बेहतर हो गई।

हमने एक और काम किया कि पुलिस अधिनियम में संशोधन कर दिया। वास्तव में, १८६१ के पुलिस अधिनियम में 'थाने' का उल्लेख भी नहीं है। इसमें थाने की परिभाषा नहीं है, इसके कार्यों की कोई व्याख्या नहीं है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि थाने का दायित्व है जनता की सहायता करना। हमने पुलिस अधिनियम में 'थाने में जनता के अधिकार' पर एक अध्याय शामिल किया है। हमने थाने में कुछ विशिष्ट अवसंरचनाओं को उपलब्ध कराने को कानूनी ज़रूरत बना दिया है। जैसे : एक स्वागत डेस्क का अनिवार्य रूप से होना। यह सब स्वंय कानून में लिखने से प्रशासन के लिए इससे इंकार करना कठिन हो जाएगा। केरल के सभी थानों में आप देखेंगे कि उल्लेखित अवसंरचनाएं मौजूद हैं केवल कुछ बहुत जंगल के क्षेत्र वाले थानों को छोड़कर।

इसके अलावा हमने थानों में कंप्यूटर का उपयोग प्रारम्भ किया। हमने सभी पुलिसकर्मियों को मोबाईल भी दे दिया। इससे भी संपर्क करना, बहुत सरल हो गया। हर स्तर पर दिये गये फ़ोन का नंबर नहीं बदलता है अधिकारियों के हस्तांतरण के बाद भी। सबको मालूम है महत्वपूर्ण नंबर किसके हैं। फ़ोन देने से अनावश्यक पत्र व्यवहार में भी भारी कमी आई और इससे जनता को भी सहायता मिली। इससे सरकारी खर्चे में भी कोई वृद्धि नहीं हुई।

थानों के कंप्यूटरीकरण को आप किस प्रकार देखते हैं? इसका उपयोग उन स्थानों पर लोगों के लिए किस तरह उपयोगी हो सकता है जहां लोग कंप्यूटर से उतने अवगत नहीं हैं, जैसे कि-गांव के थाने।

वास्तव में, केरल के अधिकांश भागों में गांव हैं। थाने में कंप्यूटर रखने के लिए लोगों को कंप्यूटर जानने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन १० वर्ष पहले हमने समूह स्तर पर - कांस्टेबल स्तर तक के पुलिसकर्मियों को, प्रशिक्षण दिलवाना शुरू किया था। आज केरल में प्रत्येक कांस्टेबल को कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग मालूम है।

इससे थाने का कार्यभार बहुत तेज़ी से कम हो गया। कंप्यूटरीकरण से थाने का काम पूरी तरह बदल गया। हमारे सभी थाने इंटरनेट से जुड़े हैं पहले एक व्यक्ति को रोज़ सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए रखा जाता है। २०१० से हमारे थानों का सारा काम कंप्यूटर पर होता है। सारे एफ.आई. आर. कंप्यूटर पर दर्ज होते हैं, इससे उसे बदलने की गुंजाईश भी कम हो जाती है। यह एक बहुत बड़ी जन सेवा है। अगर ई-मेल हो तो हम इसकी कॉपी भेज भी सकते हैं अन्यथा इसका प्रिंट आऊट निकाल कर देते हैं। इस प्रकार तकनीक के उपयोग से अनावश्यक कार्य-भार को बड़े पैमाने पर कम किया जा सकता है।

आपके विचार में जांच की ज़रूरतों और कानून-व्यवस्था की अवश्यकताओं में संतुलन बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए ताकि पुलिस दोनों ही शीर्ष पर सफ़ल हो सके?

थाना स्तर पर किया जाने वाला उत्तम जांच अच्छी पुलिसिंग की कुंजी है। यह एक ऐसा कारक भी है जिससे शांति व व्यवस्था सुनिश्चित होती है। जब तक कानून तोड़ने वाले को दण्ड न मिल जाए शांति क़ायम नहीं रखी जा सकती है। कानून-व्यवस्था को जांच से अधिक महत्व देना आत्म-नाशक है। लेकिन, कानून-व्यवस्था की आवश्यकताएं तत्कालीन होती हैं जबकि जांच के कई कार्यों को स्थगित किया जा सकता है। इसलिए, जांच का काम उपेक्षित हो जाता है, जो आगे चलकर कानून-व्यवस्था को कमज़ोर बनाता है। इस दुष्चक्र से हम केवल थाने स्तर पर एक अलग जांच युनिट की रचना करके बाहर निकल सकते हैं जिसे विधिक रूप से कानून-व्यवस्था के काम में न लगाया जा सकता हो। यह नीति अंत में कानून-व्यवस्था में सुधार लाएगी।

केरल के "स्टूडेन्ट पुलिस कैडट प्रोग्राम" को भविष्य के नेताओं को तैयार करने के लिए एक अच्छा औजार माना जाता है। सर, कृपया इस पर आपके विचारों से अवगत करायें और कृपया इस पर भी टिप्पणी करें कि यदि कोई अन्य राज्य इसे अपनाना चाहे तो यह उसके लिए किस रूप में लाभदायक हो सकता है?

प्रजातांत्र में जनता का कानून पर स्वामित्व होता है। इसलिए बच्चों को यह सोचते हुए बड़ा होना चाहिए कि कानून एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे नागरिक बनने में उनकी सहायता करती है। युवाओं के मन में इस भावना को बिठाना पुलिसिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केरल में यह स्कीम बहुत सफ़ल है और हज़ारों की संख्या में बच्चों और अभिभावकों को आकर्षित किया है और प्रबंधनों में इस स्कीम को अपने स्कूल में लागू कराने की, आपस में होड़ लगी होती है।

यह एक ऐसी स्कीम है जिसे किसी भी राज्य द्वारा अपनाया जा सकता है बशर्ते कि पुलिसकर्मियों में बच्चों को आवश्यक संवेदनशीलता से संभालने की परिपक्वता हो। इसका मकसद बच्चे को एक पुलिसकर्मी बनाना नहीं है बल्कि उसे एक अच्छा नागरिक बनाना है जो अच्छी पुलिसिंग की ज़रूरत, महत्व और ईच्छा को समझता हो। पुलिस को भी यदि अभिभावकों, शिक्षकों के समक्ष स्वंय को साबित करना है तो सामुदायिक पुलिसिंग के सिद्धांतों से अच्छी तरह अवगत होना चाहिए। केरल में अधिकतर स्कीमों की तरह जिसे हमने छोटे स्तर पर शुरू किया और धीरे-धीरे इसे बड़ा किया।

केरल के कुछ थानों में पुलिसकर्मियों के लिए ८ घंटों की शिफ़्ट की व्यवस्था की शुरूआत की गई है। कुल कितने थानों में इसे लागू किया गया है? क्या इसे थाने के सभी स्तरों के लिए लागू किया गया है?

शेष भाग पृष्ठ २ पर.....

बूझो और जीतो-३१

प्रिय पाठकों,

इस खण्ड के अंतर्गत, हम पिछले ६ महीनों से विशेष कानूनों से प्रश्न पूछ रहे थे। लेकिन, इसे और अधिक रोचक और विशिष्ट बनाने के लिए हमने इस अंक से इसे एक ख़ास विषय पर केन्द्रित करने का निर्णय लिया है। और इस बार का विषय है "गिरफ़्तारी"। सभी प्रश्न इसी से संबंधित हैं। आशा है, आपको यह पद्धति पसंद आएगी और आप अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रूपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:-

१. एक पुलिस अधिकारी के लिए, क्या यह ज़रूरी है कि गिरफ़्तारी करते समय वह उस व्यक्ति को गिरफ़्तारी का कारण भी बताए? यदि 'हां', किस प्रावधान के अंतर्गत ?

२. क्या चोरी करके भागने वाले अपराधी को, भागने से रोकने के लिए सीधे छाती में गोली मारी जा सकती है? समबद्ध प्रावधान में क्या कहा गया है?

३. गिरफ़्तारी कैसे की जानी चाहिए और यह किस प्रावधान में बतलाया गया है?

४. क्या कानून के अनुसार, किसी संज्ञय अपराध के आरोपी को पुलिस गिरफ़्तार नहीं भी कर सकती है?

५. क्या किसी आरोपी को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस, अपने थाने के अलावा किसी अन्य राज्य के थानाक्षेत्र में भी प्रवेश करके उसकी गिरफ़्तारी कर सकती है?

बूझो और जीतो - २८ का परिणाम

अप्रैल २०१४ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:-

१. सूचना तकनीक अधिनियम, २००० के अंतर्गत किसी संदिग्ध अपराधी या आरोपी को तलाश करने के लिए क्या पुलिस किसी होटल या क्लब में बगैर वारंट घुस सकती है?

सूचना तकनीक अधिनियम की धारा ८० के अंतर्गत कोई भी उप पुलिस अधिक्षक (डी,एस,पी,), इस कानून के अंतर्गत तर्कसंगत रूप से संदिग्ध अपराधी को तलाश करने के लिए किसी सार्वजनिक स्थल जिसमें होटल भी शामिल है, घुस सकती है और उसे हिरासत में भी ले सकती है।

२. क्या किसी होटल के कमरे से किसी के ई-मेल के हैक करने का प्रयत्न करने वाले को, कोई कांस्टेबल गिरफ़्तार कर सकता है?

नहीं, क्योंकि सूचना तकनीक अधिनियम की धारा ८० के अंतर्गत ऐसा करने का अधिकार पुलिस के एक डी.एस.पी. स्तर के अधिकारी को ही है।

३. हैकिंग करने वाले को किस प्रावधान के अंतर्गत और क्या दण्ड दिया जा सकता है?

सूचना तकनीक अधिनियम की धारा ६६ के अंतर्गत ३ वर्षों की क़ैद या २ लाख रू तक का जुर्माना या दोनों ही दण्ड दिया जा सकता है।

४. सूचना तकनीक अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की जांच का दायित्व किस स्तर के पुलिस अधिकारी को है?

सूचना तकनीक कानून की धारा ७८ के अंतर्गत जांच करने का अधिकार उप पुलिस अधिक्षक (डी,एस,पी,) को है।

५. क्या विदेश में बैठे किसी हैकर द्वारा सोशल नेटवर्किंग एकाउंट के हैक करने की शिकायत, स्थानीय पुलिस से की जा सकती है?

हाँ, सूचना तकनीक अधिनियम की धारा ७५ के अंतर्गत विदेश में बैठे किसी व्यक्ति के विरूद्ध इस कानून के अंतर्गत किये गये अपराध के लिए पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

विजेता

इस अंक में हमें प्राप्त प्रविष्टियों में से किसी के भी सभी उत्तर सही नहीं थे। इसलिए, इस अंक में कोई भी विजेता नहीं होगा।

जीनत मलिक

प्रधान सम्पादक, *लोक पुलिस*

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

बी-१७७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव,

नई दिल्ली ११००१७, भारत

फ़ोन : +९१-०११-४३१८०२००, ४३१८०२२५-२९९

फ़ैक्स : +९१-०११-२६८६४६८८

ई-मेल : z

इट : ht

अनुसूचित जाति एंव जनजाति (अत्याचार विरोधी) संशोधन अध्यादेश, २०१४

४ मार्च २०१४ को भारत के राष्ट्रपति ने अनुसूचित जाति एंव जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, १९८९ (कानून) को संशोधित करने के लिए एक अध्यादेश की घोषणा की।

यह कानून अनुसूचित जाति एंव जनजातियों पर अत्याचारों और अपराधों को रोकता है और इन अपराधों की सुनवाई और ऐसे पीड़ितों के पुनर्वास के लिए विशेष अदालत की स्थापना करता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, २०११ तक अनुसूचित एंव जनजातियों के विरूद्ध अपराधों का आँकड़ा केवल २-३ प्रतिशत था। लेकिन, २०१३ में यह बढ़कर १९ प्रतिशत हो गया। दूसरे शब्दों में, अनुसूचित जाति एंव जनजातियों की जनसंख्या की तुलना में और इनके साथ देश भर में लगातार होने वाले जातीय हिंसा के बावजूद इनके बहुत कम केसों को दर्ज किया जाता है।

पुलिस को अपराधों की सूचना (रिपोर्टिंग) देने की संख्या को बढ़ाने के लिए, और अनुसूचित जाति एंव जनजातियों के लिए न्याय पाने में सहयोग करने के लिए, यह अध्यादेश तीन महत्वपूर्ण रूप से कानून बनाता है। पहला, यह कानून (गैर अनुसूचित जाति एंव जनजातियों द्वारा) अनुसूचित जाति एंव जनजातियों के विरूद्ध कार्यवाहियों को अपराध मानता है। अध्यादेश अपराध की कुछ वर्तमान श्रेणीयों में संशोधन करके कुछ अन्य हरकतों को अपराध की श्रेणी में जोड़ता है। दूसरा, 'गवाहों और पीड़ितों के अधिकारों' पर एक नया अध्याय इस मकसद से जोड़ा गया है कि न्याय के संरक्षण को न केवल अपराधी को दण्ड देने तक सीमित रखा जाए बल्कि इसमें पीड़ित और उनके आश्रितों का समाज में पुन:स्थापन भी शामिल हो। अध्यादेश में सरकारी कर्मचारियों के दायित्वों का भी उल्लेख है जिसमें रिपोर्ट दर्ज कराते समय अत्याचार के पीड़ित को उसके अधिकारों के बारे में सूचित करने को कहा गया है। तीसरा, जहां केसों की संख्या बहुत अधिक होगी उन जिलों में विशिष्ट रूप से अदालतें होंगी। मुकदमों को २ महीने के अंदर समाप्त करना होगा। यह सभी नये प्रावधान एक साथ मिलकर अनुसूचित जाति एंव जनजातियों को, अत्याचारों और अपराधों से बड़ी कानून राहत प्रदान करते हैं।

अध्यादेश के अंतर्गत बनाये गये नये अपराधों तथा पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों का सारांश निम्नलिखित है।

अध्यादेश के अंतर्गत नये अपराध प्रारंभिक तौर पर, अधिनियम की धारा ३ के अंतर्गत कुछ वर्तमान अपराधों की श्रेणीयों को अध्यादेश में अधिक साफ़ व स्पष्ट कर दिया गया है। अनुसूचित जाति व जनजातियों की ज़मीनों को गलत तरीके से क़ब्ज़ा करना, अनुसूचित जाति व जनजाती के सदस्यों को उनकी ज़मीन से हटाना, अधिनियम के अंतर्गत अपराध है। 'ग़लत तरीके से' को 'व्यक्ति की ईच्छा के विरूद्ध या स्वेच्छा से सहमति न देने या इस प्रकार की ज़मीन के जाली दस्तावेज़ों के आधार पर लेना' कहा गया है। किसी अनुसूचित जाति व जनजाति की महिला के यौन शोषण और उत्पीड़न के अपराध में 'किसी महिला को उसकी सहमति के बगैर जान बूझकर कामुकता से स्पर्श करना' भी अध्यादेश में जोड़ा गया है। 'सहमति' को स्वेच्छा से मौखिक या लिखित रूप से किया गया समझौता बताया गया है। आगे, किसी गैर अनुसूचित जाति व जनजाति द्वारा नई हरकतों जैसे अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को जूतों की माला पहनाना, उन्हें कब्र खोदने या कूड़ा उठाने के लिए मजबूर करना, सार्वजनिक रूप से जाति का नाम लेकर गाली देने, उनके किसी सदस्य को क़ब्रिस्तान का उपयोग न करने देने, किसी पूजा के स्थान पर प्रवेश से रोकने, उनके विरूद्ध दुश्मनी या बुराई या नफ़रत को बढ़ावा देने की कोशिश करने को अपराध के रूप में शामिल किया गया है।

अदालतों की भूमिका

कानून के अंतर्गत, एक ज़िले के अंदर सत्र न्यायालय को, अपराधों के लिए शीघ्र मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालत माना गया है। इन अदालतों में केस पर कार्यवाही करने के लिए विशेष अभियोजन के वकील की नियुक्ति की जाती है। अध्यादेश इस प्रावधान को बदलकर यह स्पष्ट करता है कि ऐसे केसों के मुकदमे के लिए ज़िला स्तर पर विशिष्ट विशेष अदालतों का गठन किया जाना चाहिए। ऐसे ज़िलों में जहां ऐसे केसों की संख्या कम है, एक विशेष अदालत का गठन किया जाना चाहिए। अर्थात् केसों का निपटारा २ महीनों के भीतर सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए। इन अदालतों से अपील सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकेगी और वहां ३ महीनों के भीतर समाप्त हो जानी चाहिए। सभी विशिष्ट विशेष अदालत और विशेष अदालत के लिए एक विशिष्ट विशेष अभियोजन वकील और विशेष अभियोजन वकील की नियुक्ति की जानी चाहिए।

पीड़ितों और गवाहों के अधिकार

अध्यादेश में पीड़ितों और गवाहों को निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराये गये हैं:

- निष्पक्षता, आदर व सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना,
- दर्ज एफ.आई.आर. की कॉपी मुफ्त प्राप्त करना,
- जांच और आरोप पत्र की स्थिति के बारे में पूर्ण सूचना प्राप्त करना,
- किसी प्रकार की धमकी या प्रताड़ना से राज्य द्वारा पूर्ण और तत्कालीन संरक्षण प्राप्त करना,
- धमकी, दबाव या प्रताड़ना से संबंधित शिकायतों को अलग एफ. आई.आर. के रूप में दर्ज करना,
- जांच एंव मुकदमे के दौरान यात्रा एंव भरण-पोषण के लिए खर्चा पाना,
- अदालत की सभी कार्यवाहियों के लिए समय से नोटिस प्राप्त करना,
- केस का विवरण प्राप्त करना और मुकदमे के लिए तैयार करना,
- राज्य से विधिक सहायता प्राप्त करना,
- अदालत के किसी भी आदेश या निर्णय में पहचान (नाम व पता) गुप्त रखना,
- गैर सरकारी संगठनों, समाजिक कार्यकर्ताओं या वकीलों से सहायता मांगना,
- तत्काल नकद और हितकर राहत प्राप्त करना जिसमें हत्या या चोट की स्थिति भी शामिल है।

टध्यादेश के अंतर्गत स्थापित अदालतों को निम्न प्रकार के उपाय करने चाहिए। जैसे : (क) गवाहों के नाम छुपाना (ख) पीड़ित, सूचनादाता या गवाह आदि के विरूद्ध प्रताड़ना के किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्यवाही करना। इस प्रकार के किसी भी केस की सुनवाई अलग से की जाएगी और इसे भी २ महीनों के भीतर समाप्त हो जाना चाहिए।

राज्य सरकारों को उपरोक्त अधिकारों और पात्रता के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक स्कीम का विस्तृत विवरण देना है। शिकायत दर्ज कराते समय, शिकायतकर्ता को, पीड़ित और गवाहों को उपलब्ध अधिकारों के बारे में संपूर्ण सूचना प्रदान की जानी चाहिए।

पुलिस के कर्तव्य

कानून के अंतर्गत, एक गैर अनुसूचित जाति व जनजाति के सरकारी कर्मचारी को जान बूझकर अपने कर्तव्यों के निर्वाह में लापरवाही बरतने के लिए ६ महीने या उससे अधिक के कारावास का दण्ड दिया जा सकता है। अध्यादेश में इन कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। इस कानून के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी भी अपराध के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, थाना प्रभारी इसे लिखकर शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर लेगा, इस अध्यादेश एंव उचित प्रावधानों के अंतर्गत शिकायत या एफ.आई.आर. दर्ज करेगा और शिकायत की एक कॉपी शिकायतकर्ता को देगा। इस अध्यादेश के अंतर्गत जांच का काम २ महीने के भीतर पूरा हो जाना चाहिए और अदालत में आरोप पत्र दायर हो जाना चाहिए और इसमें किसी विलंब की लिखित में व्याख्या दी जानी चाहिए।

१९८९ के कानून के अंतर्गत, एक डी. एस.पी. को यह अधिकार है कि वह अपने अधिकारक्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र को 'अत्याचार संभावित' क्षेत्र घोषित कर सकता है और वहां शांति व जन व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवारक उपाय कर सकता है।

उचित कार्यान्वयन के लिए, सभी राज्य सरकारों को पुलिस विभाग के साथ मिलकर कदम उठाना चाहिए ताकि सभी अधिकारियों को संशोधित कानून के प्रावधानों के बारे में शिक्षित किया जा सके और यह सुनिश्चित करें कि जैसा उल्लेखित है, कर्तव्यों के निर्वाह में लापरवाही होने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। केवल तभी, अनुसूचित जाति एंव जनजाति जैसे, ऐतिहासिक रूप से दबे कुचले समुदाय अपने संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रता का प्रतिलाभ उठा सकेंगे और भारत गणराज्य के समान नागरिक के रूप में जीवन यापन करना शुरू करेंगे।

नोट : अनुसूचित जाति एंव जनजाति (अत्याचार विरोधी) संशोधन विधेयक, २०१४ को १६ जुलाई २०१४ को लोक सभा में सामाजिक न्याय एंव सशक्तिकरण मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एक बार यदि यह विधेयक पास हो जाता है तो यह अनुसूचित जाति एंव जनजाति (अत्याचार विरोधी) संशोधन अध्यादेश, २०१४ को हटाकर इसका स्थान ले लेगा।

– देवयानी श्रीवास्तव

पृष्ठ १ का शेष भाग.....

केरल में, औपचारिक रूप से ५१ थानों में ८ घंटे ड्यूटी का नियम लागू किया गया है। यह अधिकांश रूप से पूर्णत: सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी पुलिसकर्मी को सप्ताह में ५० घंटों से अधिक काम न करना पड़े। साथ ही, अगर कोई व्यक्ति एक दिन बहुत लंबी ड्यूटी करता है, उसे अगले दिन थोड़ी हल्की ड्यूटी दी जाती है।

८ घंटे पुलिसिंग नियम को मानने और रोज़मर्रा की पुलिसिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने में संतुलन बनाये रखने के लिए आप क्या सुझाव देंगे?

८ घंटों की ड्यूटी की आवश्यकता न केवल एक कल्याणकारी उपाय के तौर पर है बल्कि यह व्यवसायिक पुलिसिंग की गुणवत्ता को बढ़ाने और जनता को पुलिस द्वारा प्राप्त होने वाली सर्विस डिलिवरी की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए, प्रश्न यह नहीं है कि "क्या ८ घंटे ड्यूटी की व्यवस्था व्यवहारिक है?" न यह है कि "इसके बगैर कैसे रहें?" वास्तविक चुनौती यह है कि "८ घंटे की ड्यूटी व्यवस्था को व्यवहारिक कैसे बनाएं?"

क्योंकि यह महसूस किया जा चुका था कि पुलिस के कार्य-निष्पादन को प्रभावपूर्ण रूप से सुधारने के लिए थानों पर, ८ घंटों की ड्यूटी सहायक हो सकती है। इसलिए, ८ घंटे की ड्यूटी व्यवस्था को लागू किया जाना है और वह भी २४ घंटे पुलिसिंग की आवश्यकताओं पर किसी प्रकार के समझौते के बग़ैर। इसके लिए पुलिस व्यवस्था में थोड़े बदलाव की आवश्यकता है और मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य-नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है:-

१. जनबल और जनबल की उपलब्धता को बढ़ाएं
२. गैर पुलिसिंग दायित्वों और बेकार सामंतवादी प्रचलनों को खत्म करें
३. अनावश्यक कार्यों को समाप्त करें और काम करने के तरीके में बदलाव लाएं
४. कठिन ड्यूटी में अनावश्यक तनाव को खत्म करें
५. पुलिसकर्मियों की क्षमता और प्रेरणा को बढ़ाएं
६. जन मैत्री पुलिसिंग स्टाईल को प्रोत्साहन दें
७. ८ घंटे का नियम बड़ी संख्या में दायित्वों के लिए करें।
७. यौन हिंसा से पीड़ित लोगों से व्यवहार करते समय आप थाना कर्मियों को क्या सलाह देंगे? विशेषकर कानून द्वारा बाध्यकारी ड्यूटी के अलावा उन्हें सहयोग प्रदान करने के विषय में।

सभी थानों में महिला स्टाफ़ उपलब्ध होनी चाहिए। उनका साक्षात्कार, उस स्थान पर किया जाना चाहिए जो उनके लिए सुविधापूर्ण हो। उन्हें प्रोत्साहन और संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

अंत में, आप पुलिसिंग को आज से ५ वर्ष बाद कहां देखना चाहेंगे?

इसे अधिक जनमैत्री होना चाहिए। थानों में अधिक पुलिसकर्मी। अधिक आधुनिक उपकरण एंव तकनीक जिससे काम आसान होगा और जो गैर कानूनी चालबाज़ी को कठिन बनाएगा, पुलिसकर्मियों के लिए पर्याप्त विश्राम, और अधिक गहन सामुदायिक पुलिसिंग, जनता से पुलिस को प्राप्त सूचनाओं की रफ़्तार में तेज़ी और इसी प्रकार पुलिस से जनता को, थानों में कार्यरत महिलाओं की संख्या में अधिकता और मानव अधिकारों के लिए बेहतर सम्मान।

क्या आप जानते हैं?

इस खण्ड के अंतर्गत हम कमज़ोर गवाहों द्वारा आपराधिक कार्यवाही के समय गवाही लेते समय ध्यान देने योग्य आवश्यक बातों के लिए तैयार किये दिशा-निर्देशों को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए कुल ३६ दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये हैं। इस श्रृंखला के पहले भाग में १-५वें निर्देश को शामिल किया जा चुका है। इसके आगे के निर्देश इस प्रकार है:

आपराधिक मामलों में कमज़ोर गवाहों का बयान दर्ज कराने के लिए दिशा-निर्देश

६. विशेष उपायों के उपयोग के कारण कमज़ोर गवाह के प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा।
इस तथ्य से कि कमज़ोर गवाह को बयान दर्ज कराने के समय विशेष उपाय उपलब्ध कराया गया है दूसरे पक्ष पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। विशेष उपाय के उपयोग का आदेश देते समय और अंतिम निर्णय देते समय, जज को यह बात दूसरे पक्ष को स्पष्ट कर देनी चाहिए।

७. विरोधात्मक आपराधिक न्याय प्रणाली के तनाव की पहचान करने के कारक।
जो कारक बाल गवाहों पर दबाव डाल कर उन्हें और कमज़ोर गवाह बनाते हैं, और पूरे खुलासे में विघ्न डालते हैं, इसमें शामिल होंगे :

(i) विविध स्वभाव और विकासात्मक रूप से उचित भाषा का उपयोग न करना।

(ii) विलंब और स्थिरता

(iii) एक बार से अधिक गवाही देना

(iv) लंबी अदालती कार्यवाहियां

(v) व्यवसायिकों में संपर्क की कमी जिसमें पुलिस, डॉक्टर, वकील, अभियोजन का वकील, जांचकर्ता, मनोवैज्ञानिक आदि

(vi) सार्वजनिक रहस्योद्घाटन का डर

(vii) जटिल कनूनी प्रक्रिया की समझ में कमी

(viii) आरोपी से आमने-सामने संपर्क

(ix) प्रगतिशील आवश्यकताओं के लिए प्रचलन असंवेदनशील है

(x) अनुचित क्रॉस परीक्षण।

(xi) पर्याप्त सहयोग और पीड़ित सहायता सेवाओं की कमी।

(xii) उन गवाहों को रोकना जो बच्चे के लिए सहायक हो सकते हैं।

(xiii) व्यवस्था जिसमें बच्चा धमकी, दबाव या लगातार दुर्व्यवहार का सामना करे।

(xiv) चिंता कि उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा विशेषकर तब जब दुर्बल गवाह के बयान के अलावा कोई और साक्ष्य न हो। अदालती कार्यवाहियों की औपचरिकता और माहौल जिसमें न्यायपालिका और विधिक कर्मचारियों की औपचारिक पोशाक।

८. दुर्बल गवाहों की योग्यता - सभी कमज़ोर गवाह गवाही देने के योग्य माने जाएंगे सिवाए इसके कि उन्हें (क) आयु, (ख) मानसिक अपंगता जिसमें ऐसे गवाहों के महसूस करने, याद करने, बातचीत करने, सच और झूठ में अंतर करने या सच्चाई बतलाने की ज़िम्मेदारी, और/ या उसे व्यक्त करने की क्षमता के बारे में संदेह के कारण उन्हें गवाही देने से रोका जाए।
व्याख्या : ऐसे गवाहों की योग्यता को परखने के लिए अदालत क्षमता परीक्षण करेगी। ऐसा वह स्वत: कर सकती है या दोनों में से किसी भी पक्ष के आवेदन पर।

९. योग्यता आंकलन के समय कौन प्रस्तुत रह सकता है- केवल निम्नलिखित को मौजूद रहने की आज्ञा है :

(i) जज और अदालत के वे अधिकारी जिनकी समबद्ध जज के आदेश द्वारा ज़रूरत और उल्लेख हो।

(ii) पार्टियों के वकील

(iii) अभिभावक

(iv) बच्चे के लिए एक या अधिक सहयोगी व्यक्ति, और

(v) आरोपी, जब तक कि अदालत यह तय न कर ले कि योग्यता पूरी तरह उसकी अनुपस्थिति में मापी जा सकती है।

(vi) कोई अन्य व्यक्ति अदालत की नज़र में जो योग्यता मापने में मदद कर सकता है।

१०. योग्यता आंकलन- किसी बच्चे की योग्यता का आंकलन केवल जज ही करेगा।

११. विकासात्मक रूप से उचित प्रश्न - बच्चे की योग्यता के आकलन के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न उसकी आयु और विकास के स्तर के अनुसार होंगे, मुकदमे से जुड़े मुद्दों में से नहीं होंगे, और बच्चे के याद रखने, बातचीत करने, सही और ग़लत में फ़र्क करने की क्षमता और सच्चाई से बयान देने के दायित्व पर फ़ोकस करेंगे।

१२. अदालत का दायित्व होगा कि वह कमज़ोर गवाहों की क्षमता को उनके पूरी गवाही के दौरान आंकलन करते रहें और जहां भी ज़रूरत हो उचित आदेश जारी करें।

१३. गवाहों का मुकदमे के पहले अदालत संदर्शन - कमज़ोर गवाहों को मुकदमे के पूर्व अपने सहयोगी व्यक्ति के साथ अदालत देखने और इसकी रूपरेखा समझने की इजाज़त है, और इस संदर्शन में निम्नलिखित की व्याख्या शामिल हो सकती है :

(i) कटघरे में आरोपी की स्थिति

(ii) कोर्ट अधिकारी (उनकी क्या भूमिक है और वे कहां बैठते हैं

(iii) अदालत में और कौन लोग हो सकते हैं, उदाहरण के तौर पर जो लोग गैलरी में होते हैं

(iv) गवाह का कटघरा की जगह

(v) अदालत की मूल प्रक्रिया का पूर्वभ्यास करना

(vi) अदालत में उपलब्ध सुविधाएं

(vii) किसी विशेष प्रकार के भय या चिंता पर मध्यवर्ती संस्थाओं से चर्चा अभियोजन के वकील और जज से अदालत में प्रत्याशित गवाही से भय, मानसिक आघात और चिंता को दूर करने के लिए चर्चा करें

(viii) उपयोग/ स्वीकृत किये जाने वाले किसी विशेष उपाय का प्रदर्शन, उदाहरण के तौर पर लाईव लिंक के उपयोग पर यह बतलाना कि कौन उन्हें अदालत के कमरों में देख सकेगा, और स्क्रीन का उपयोग दिखाना (जहां कहां भी ऐसा करना सम्भव हो)।

१४. जज से मुलाक़ात - दुर्बल गवाहों से जज अपने आप या दोनों में से किसी भी पक्ष के आवेदन पर, और अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील की मौजूदगी में या उनकी अनुपस्थिति में गवाही देने के पहले, उन्हें अदालत की प्रक्रिया समझने और उनके सर्वोत्तम साक्ष्य देने में मदद करने के लिए मुलाकात कर सकते हैं, जिसका कारण दर्ज किया जाएगा।

१५. बगैर तैयारी के अभिभावक की नियुक्ति - कानून के अनुसार अदालत किसी भी व्यक्ति को बच्चे का अभिभावक नियुक्त कर सकती है। ऐसा करने के लिए अदालत उस व्यक्ति की कानूनी प्रक्रियाओं से, सामाजिक सेवा कार्यक्रमों, बाल विकास से उसकी अंतरंगता को देखेगी। इस कसौटी पर अगर बच्चे के माता पिता योग्य पाये गये उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यह अभिभावक अधिवक्ता समुदाय का कोई सदस्य/ कोई पेशेवर वकील हो सकता है अर्थात् केवल ऐसे व्यक्ति को छोड़कर जो बच्चे से संबंधित किसी केस में गवाह हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो बच्चे से समबद्ध हो।

१६. अभिभावक का दायित्व - अदालत द्वारा नियुक्त अभिभावक का दायित्व होगा कि :

(i) उन सभी निक्षेपण, सुनवाईयों और मुकदमे की कार्यवाही में उपस्थित रहे जिसमें दुर्बल गवाह भाग लेता/ लेती है।

(ii) दुर्बल बच्चे के हित का ध्यान रखते हुए और बच्चे पर कार्यवाहियों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अदालत से सिफ़ारिश करें।

(iii) दुर्बल गवाह को उसकी समझ में आने वाली भाषा में सभी कानूनी कार्यवाहियों के बारे में बताए, जिसमें बच्चे से संबद्ध पुलिस जांच भी शामिल है।

(iv) जब दुर्बल गवाह बयान देने की प्रतीक्षा में हो, वह उसके साथ रहे।

१७. विधिक सहायता - यदि अदालत मानती है कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया में वकील की नियुक्ति बच्चे के हित में है, निम्नलिखित अवस्थाओं में दुर्बल गवाहों को अदालत द्वारा विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है :
(क) यदि निर्धारित किया गया हो, सहयोगी व्यक्ति के निवेदन पर
(ख) अपने आप ही अदालत के आदेश के अनुसार।

(तीसरा भाग अगले अंक में प्रस्तुत किया जाएगा)

- प्रस्तुति: ज़ीनत मलिक

आपके विचार

संपादिका जी,
नमस्कार!
लोक पुलिस के जून अंक में श्री रोबेरो का साक्षात्कार मुख्य आकर्षण सिद्ध हुए। हांलाकि, 'अपराधों को रोकने के लिए अपराधों को मापना' नामक लेख भी एक नया विचार प्रदान करता है। कुल मिलाकर समचारों का समावेश भी बहुत नया और सामरिक महत्व का है जो अंक की उपयोगिता को बढ़ाता है।

धन्यवाद

कांस्टेबल, जबलपुर
सदस्य, मध्य प्रदेश पुलिस

महोदया,
नमस्कार!
जून के अंक में बच्चों की गवाही के लिए तैयार किये निर्देशों से बच्चों के विरूद्ध लगातार बढ़ते अपराधों को रोकने और उनके गुनहगारों के दण्ड दिलाने की सकारात्मक सोच का पता चलता है लेकिन इसे जल्दी ही लागू किया जाना चाहिए बाल गवाहों को इसके अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ मिल सके और उनकी गवाही से अपराधियों को दण्ड मिल सके।
इसके अलावा पिछले कुछ समय से समाचारों में चर्चा आ रही है कि बाल अपराधियों को भी गंभीर अपराधों के लिए बड़ों की भांति दण्ड देने के लिए कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि बाल न्याय कानून के अंतर्गत बच्चे की आयु को कम करना उचित होगा। इससे उन्हें भी दण्ड से भय होगा। इस विषय पर तत्कालीन कानूनी स्थिति की सूचना पत्रिका में अवश्य डालने की कृपा करें। यह हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा।

धन्यवाद

महिला हेड कांस्टेबल,
सदस्य, दिल्ली पुलिस

महिलाओं के विरूद्ध अपराध

अपराधों का शीर्ष	दर्ज केस	अपराध दर	आरोप पत्र दायर करने की दर	अपराध सिद्धि दर
महिलाओं का अपहरण व व्यपहरण	५१८८१	८.८	६८.४	२१.१
महिलाओं पर उनका मान भंग करने की नीयत से किया गया प्रहार पति और उसके	७०७५६	११.६	६५.८	५.७
परिवार वालों द्वारा क्रुरता	११८८६६	२०.१	६२.३	९६.०
बहरी देशों से लड़कियों का आयात	३१	०.०	३७.१	९६.२
कुल अपराध	३०६५४६	५२.२	६०.५	२२.४

सौजन्य : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो २०१३ रिपोर्ट

हम, *लोक पुलिस* के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, *लोक पुलिस* में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

पुलिस समाचार- हर कोने की हलचल

राष्ट्र हित की क़ीमत पर पुलिसकर्मियों को संयुक्त राष्ट्र में न भेजा जाए

पहली बार यह मुद्दा बहस के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमति कामिनी लाऊ की अदालत में उठाया गया और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मिशन पर पुलिसकर्मियों को भेजने की वर्तमान नीतियों पर बहस करने का मांग की।

क्या वास्तव में ऐसा है कि दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षित अधिकारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा लुभावने वेतन दिये जाने के कारण वहां प्रतिनियुक्ति का विकल्प ढूंढ़ते हैं? दिल्ली की सत्र न्यायालय में पहली बार यह बात इसलिए उठाई गई क्योंकि कुछ विचाराधीन बंदियों को जेल में केवल इसलिए रहना पड़ रहा है क्योंकि इसमें शिकायतकर्ता सब इंस्पेक्टर जो एक प्रमुख गवाह है, वह इस पर बयान देने के लिए उपलब्ध नहीं है। सब इंस्पेक्टर संयुक्त राष्ट्र के शांति बनाये रखने वाले मिशन पर सूडान गया हुआ है। सूत्रों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी एक बार संयुक्त राष्ट्र के मिशन पर चला जाता है, तो वह वहां से वापस नहीं आ सकता यदि किसी मुकदमे में उसकी आवश्यकता हो तब भी। इस केस में सब इंस्पेक्टर, महावीर को कई बार अदालत में उपस्थित होने का अवसर दिया गया लेकिन वह नहीं आया। अदालत को बताया गया कि उसके आवेदन पर उसे प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत सूडान भेजा गया है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा आमंत्रण भेजने के बाद महावीर द्वारा इस मिशन पर भेजे जाने के निवेदन को दिल्ली पुलिस से समर्थन प्राप्त होने के बाद ही केन्द्रीय मंत्रालय ने स्वीकार किया था, इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यदि किसी केस में इस अधिकारी की आवश्यकता हो सकती है। अब स्थिति यह है कि उसकी अनुपस्थिति के कारण वह आरोपी जो जेल में न्याय की प्रतीक्षा में हैं, उनके स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है।

अपनी अप्रसन्नता दर्शाते हुए डा. लाऊ ने कहा, "मैं यह अवलोकन कर सकती हुँ कि सरकार द्वारा शांति बनाए रखने वाले ऑपरेशन पर कम अवधि के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है उन्हें संयुक्त राष्ट्र मिशन द्वारा दिये जाने वाले भत्ते के अलावा वेतन भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसके बारे में मुझे बताया गया है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के लिए मुख्य आकर्षण है जिससे कि वह कई युद्ध ग्रस्त क्षेत्रों या खतरनाक क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं।"

जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस अपने नियमित कार्यों के लिए और कई क्षेत्रों में विफल होने के लिए जनबल की गंभीर कमी को कारण बताती है तो फिर ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनियुक्तियों पर अपने अधिकारियों को भेजने की क्या आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में मुख्य विभाग को लोक हित/ राष्ट्रीय हित के आधार पर निवेदन को अस्वीकार कर देना चाहिए।

(सौजन्य : द हिन्दु डॉट कॉम, २३ जून २०१४)

सरकार पुलिस के आधुनिकिकरण के लिए उत्सुक

पुलिस का आधुनिकिकरण और सीमा अवसंरचनाओं में सुधार वित्त मंत्रालय के पहले बजट का बड़ा भाग रहा। कुल ६५,७४५.२८ करोड़ रू का ६.५ प्रतिशत, इसके विभिन्न परियोजनाओं के लिए निश्चित किया गया है।

केन्द्रीय बजट की दूसरी विशेषताएं और आकर्षण हैं - शहरों में महिलाओं के सुरक्षा के उपाय, दिल्ली में संकट प्रबंधन केन्द्र और अर्धसैनिक बलों में विशेष बढ़त।

पुलिस आधुनिकिकरण प्रक्रिया, सीमा पर सुरक्षा अवसंरचनाओं में सुधार और सीमा के गांवों को विकसित करने के लिए वर्ष २०१४-२०१५ में ६,२४० करोड़ रू दिया गया है।

इस बजट में पुलिस आधुनिकिकरण प्रक्रिया के लिए पहले बजट में आवंटित १८४७ करोड़ रू राशि को बढ़ाकर २०१६-२०१७ तक के लिए ३००० करोड़ कर दिया गया है। हांलाकि, इस प्रक्रिया में प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार किया जाएगा।

इस बजट में १५० करोड़ रू समूद्री थानों की स्थापना और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए नावों और जेटीज़ के खरीदने के लिए अलग से रखा गया है।

ठसके अलावा वामपंथी आतंकवादियों से प्रभावित ज़िलों में आवश्यक विकास के कार्यों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में भी फंड रखा गया है।

उपरोक्त के अलावा, इस बजट में पुलिस स्मारक बनाने के लिए भी ५० करोड़ रू की राशि आवंटित की गई है।

पुलिस, राज्य का विषय होने के कारण फंड चाहे जितना भी हो उसके उपयोग का दयित्व राज्य सरकार पर ही होता है और पूर्व अनुभवों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि केवल फंड उपलब्ध कराना, सभी राज्यों में पुलिस के आधुनिकिकरण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं, असली परख तो राज्य सरकारों की ईच्छा शक्ति की है।

(सौजन्य : डक्कन हेराल्ड डॉट कॉम, १० जुलाई २०१४)

पुलिस जनता से सहयोग लेने के लिए तैयार

वाराणसी अंचल में तीन माओवादी प्रभावित ज़िलों में सामुदायिक पुलिसिंग की सफलता ने पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित किया कि वाराणसी रेंज के १० ज़िलों में थोड़े अलग तरीके से सामुदायिक पुलिसिंग की शुरूआत करें। व्यवस्था में समरूपता लाने के लिए प्रत्येक ज़िले में एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। इसका मकसद है कि ज़िला पुलिस प्रमुख के हस्तांतरण की स्थिति में सामुदायिक पुलिसिंग पर विपरीत प्रभाव न हो।

ए.डी.जी. (मानव अधिकार) व सामुदायिक पुलिसिंग के नोडल अफ़सर विश्वजीत महापात्रा ने स्वीकर किया कि योजना में बदलाव का कारण ३ ज़िलों में सामुदायिक पुलिसिंग की सफलता है।

इस प्रयोग का प्रारम्भ २०१२-२०१३ में किया गया था। लेकिन, उस समय पुलिस को समाज के समीप लाने का काम एस.पी/ एस.एस.पी. पर छोड़ दिया गया था। वाराणसी पुलिस ने स्वंयसेवी संगठनों के साथ मिलकर विक्लांग बच्चों के अभिभावक की भूमिका निभाना चुना था। हांलाकि, सामुदायिक पुलिसिंग के इस कार्यक्रम का अंत एस.एस.पी. कार्यालय के परिवर्तन से हुआ। इसी प्रकार, दूसरे ज़िलों में भी पुलिसकर्मियों ने स्वंय अपनी प्राथमिकता से काम किया।

मोहापात्रा ने सभी १० ज़िलों के नोडल अफ़सरों के साथ परिचर्चा की जिसमें नोडल अफसरों ने अपनी योजना की पावर प्वाइंट प्रस्तूति की और अपनी रणनीती से अवगत कराया। इन नोडल अफ़सरों को विभिन्न चरणों में सामुदायिक पुलिसिंग की शुरूआत करने को और इसमें समाज के सभी तबके और सभी पीढ़ियों के सदस्यों को शामिल करने को कहा गया है।

इसके अंतर्गत, सामुदायिक पुलिसिंग के लिए प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक सर्कल के एक थाने का चयन किया जाएगा। श्री मोहापात्रा के अनुसार, "बीट कांस्टेबल सम्बद्ध क्षेत्र के प्रत्येक घर में लोगों से मिलने जाएंगे। इसके अंतर्गत बीट कांस्टेबल क्षेत्र की समस्याओं को जानेगा और इसकी निवारण के लिए रिपोर्ट बनाकर बीट अधिकारी और एस.ओ. को देगा। किरायेदारों का सत्यापन जो पिछले चरण में सम्भव नहीं हो पाया था, इस चरण में सम्भव होगा"। उन्होंन यह भी जोड़ा कि इस कदम से न केवल जनता और पुलिस के बीच की खाई को भारा जा सकेगा बल्कि इससे उन छोटी समस्याओं को भी पनपने से रोका जा सकेगा जो बड़ी घटनाओं का रूप ले लेते हैं। स्वास्थ्य और रक्तदान कैंप के साथ कानून के बारे में जागरूकता लाना भी इस चरण में जोड़ा जाएगा।

दूसरे चरण में, पुलिस मित्रों को भी इसमें जोड़ दिया जाएगा और प्रत्येक थाने में दो सामुदायिक समन्वय समूह बनाये जाएंगे जिनकी मीटींग हर पन्द्रह दिन में एक बार होगी। इस चरण की समाप्ति के बाद, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, पुलिस गश्त में जनता की सहायता मांगना, आदि जैसे मुद्दों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

सामुदायिक पुलिसिंग के लिए उठाये जाने वाले कदम निश्चित रूप से सराहनीय हैं। हम कामना करते हैं कि न केवल वाराणसी में यह बेहद सफल हो, बल्कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी पुलिसिंग को मज़बूत करने के लिए समुदाय से घनिष्टता बढ़ाई जाए।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, १० जुलाई २०१४)

बारारुम्बा रोड थाना एशिया में सर्वश्रेष्ठ घोषित

थ्दल्ली के एक थाने को पूरे एशिया महादेश में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भारतीय मानकों के अनुसार, २२ देशों के १३४० थानों में किये गये एक ग्लोबल सर्वे में बारारुम्बा रोड थाने ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है।

दिल्ली पुलिस ने पिछले वर्ष ४ और ६ नवंबर के मध्य अल्टस ग्लोबल अलायंस द्वारा आयोजित ग्लोबल विज़िटर्स वीक में भाग लिया था। ४५ थानों को मूल्यांकन के लिए रखा गया था जिसमें तकरीबन ५००० दिल्ली वासियों ने इस निरीक्षण में भाग लिया था। उन्हें एक सर्वे फार्म भरने को कहा गया था जिसमें जो प्रश्न थे वे ५ मापदण्डों - सामुदायिक अनुकूलन, भौतिक स्थिति, समान व्यवहार, पारदर्शिता जवाबदेही और हवालात की स्थिति से पूछे गये थे।

एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने लोगों से 'पुलिस के सामान्य बर्ताव के बारे में, निर्धारित स्थानों पर पुलिस की सेवा प्राप्त करने में नागरिकों को सहयोग प्रदान करने के बारे में और नागरिकों को उनके अधिकारो के प्रति सूचित करने के लिए डिस्प्ले की उपलब्धता के बारे में पूछा था।'

दिल्ली के थानों का औसत अंक ८३.३८ प्रतिशत था। इस प्राप्ति के उपलक्ष्य में उस समय के वहां के एस.एच.ओ. इंस्पेक्टर सतीश शर्मा और अतिरिक्त डी.सी.पी. (नई दिल्ली) मधुर वर्मा को पुलिस सुधार पर ६ जून को अंटिगुआ गुआटेमाला में अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस में भी सम्मानित किये जाने की बात कही गई थी।

अच्छी बात है कि दिल्ली के एक थाने को २२ देशों के थानों में सर्वश्रेष्ठ होने का सम्मान प्राप्त हुआ। लेकिन यह केवल चयनित ४५ थानों में किये गये मूल्यांकन पर आधारित था और इसे संपूर्ण दिल्ली के अन्य थानों की स्थिति का प्रतिबिम्ब नहीं कहा जा सकता क्योंकि दक्षिणी दिल्ली में भी कई थाने जर्जर स्थिति में अवसंरचनाओं की कमी से बुरी तरह ग्रस्त हैं। सरकार को इंगित ४५ थानों को छोड़कर बाकी तकरीबन १४० थानों की मरम्मत आदि पर ध्यान देना चाहिए।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, ३ जून २०१४)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली-११००१७, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, i a